झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा-2012 के क्रॉस लिस्ट, अंक पत्रक, आदि के वितरण एवं प्रमाण पत्रों में हुए त्रुटि संशोधन के संबंध में आवश्यक सूचना।

विज्ञप्ति संख्या - 40/2012

एतद् द्वारा सभी छात्र/छात्राओं, अभिभावकों एवं महाविद्यालयों/+2 विद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा–2012 के कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय का क्रॉस लिस्ट, अंक पत्रक, औपबन्धिक प्रमाण पत्र एवं प्रव्रजन प्रमाण पत्र आदि महाविद्यालय/+2 विद्यालय के प्राचार्य स्वयं अथवा उनके द्वारा अधिकृत दूत के माध्यम से **दिनांक 12.06.2012** से परिषद् कार्यालय, राँची, संथाल परगना प्रमण्डल के महाविद्यालय क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका एवं पलामू प्रमण्डल के महाविद्यालय प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर से प्राप्त कर लेंगे।

1) जिन छात्रों के अंक पत्रक आदि में नाम, पिता/माता का नाम, सूचीकरण संख्या, आदि में त्रुटि हो तो ऐसे छात्र अपना आवेदन (पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र और अंक पत्रक की छाया प्रति के साथ) **दिनांक 10.07.2012** तक संबंधित +2 विद्यालय/महाविद्यालय में नि:शुल्क जमा करेंगे। संबंधित प्रधानाध्यापक/प्राचार्य सभी आवेदनों को सूचीबद्ध कर अग्रसारित करते हुए परिषद् कार्यालय में **दिनांक 16.07.2012** तक अवश्य ही जमा करेंगे। इस तिथि के पश्चात् संशोधन शुल्क ₹400/– (चार सौ रुपये) के साथ आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।
2) अंक पत्रक में किसी भी प्रकार की अभ्युक्ति यथा Invalid, Withheld, Incomplete, Absent है तो संबंधित +2 विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों (पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र और अंक पत्र) की छाया प्रति लगाकर परिषद् कार्यालय में **दिनांक 30.06.2012** तक किसी भी कार्य दिवस को जमा कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त किसी भी प्रकार का परीक्षाफल संशोधन हेतु आवेदन परिषद् में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

   उक्त दोनों प्रकार के आवेदन परिषद् कार्यालय, राँची, संथाल परगना प्रमण्डल के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका एवं पलामू प्रमण्डल के लिए प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर में निर्धारित अवधि तक जमा लिये जायेंगे।

अध्यक्ष के आदेशानुसार,
ह./-
(सुशील कुमार राय)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/Inter/ 8548/11/SECY/242/12
Dt. 11.06.2012
D.O.P. 12.06.2012